

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, शिवहर के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 04 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) एवं 03 दुर्घटना में मृत श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौर, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मो० फारूक साह, 23, पि० जाति	मो० शाह आलम(पिता)	99/07.02. 2019	ग्रा०-खोरठा, पो०-बेलहियाँ, था०-बेलसंड, शिवहर	32937233 489	भारतीय स्टेट बैंक, शिवहर SBIN0014298	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर(कृषि नियोजन) व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० मो० शाहरूख शाह, 22, पि० जाति	मो० शाह आलम(पिता)	तदैव	ग्रा०-खोरठा, पो०-बेलहियाँ, था०-बेलसंड, शिवहर	32937233 489	भारतीय स्टेट बैंक, शिवहर SBIN0014298	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर(कृषि नियोजन) व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० प्रमोद सहनी, 34, श्री राजेश्वर सहनी, अनु० जाति	श्रीमती रीता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-सोनबरसा, था०-तरियानी, शिवहर	10015510 11000012	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, तरियानी CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर(कृषि नियोजन) व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० बरूण कुमार तिवारी, 35, श्री सुरेन्द्र तिवारी, सामान्य	श्रीमती पूजा कुमारी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-खैरवा दर्प, था०+जि०-शिवहर	84220123 1002274	विजया बैंक शिवहर, VIJB0008422	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ड्राईवर(चालक)व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० मनोज ठाकुर, 42, श्री कपिलदेव ठाकुर, अनु० जाति	श्रीमती अंजू देवी(पत्नी)	606/31.12.18	ग्रा०-नारायण पकड़ी, पो०-छतौनी, था०-पिपराही, शिवहर	44341051 0000372	बैंक ऑफ इंडिया, कटैया BKID0004434	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर(कृषि नियोजन) व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० गंगा राम साह, 54, स्व० वंशी साह, अ० पि० वर्ग	श्रीमती शोभावती देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०+पो०-कमरौली, था०-पिपराही, शिवहर	31321010 02669	केनरा बैंक, शिवहर, CNRB0003132	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खेतिहर मजदूर(कृषि नियोजन) व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० जयचन्द्र राय, 32, पि० जाति	श्रीमती नगीना देवी(पत्नी)	7/04.1.18	ग्रा०-देकुली धर्मपुर, पो०-कमरौली, था०-पिपराही, शिवहर	49930017 00145834	पंजाब नेशनल बैंक शिवहर, PUNB0499300	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ड्राईवर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 420000/-

(चार लाख बीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का सचिका सं० श्रम क० सं०-17/2019 के पृष्ठ-04/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-17/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-17/2019-215

पटना, दिनांक :- 03-07-19

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।